भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 574
22 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई के अंतर्गत लाभार्थी

574 श्री राजू बिष्टः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दार्जिलिंग लोक सभा चुनाव क्षेत्र में लाभार्थियों के चयन तथा प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण तथा शहरी, दोनों के लिए आबंटन के संबंध में लोगों की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमएवाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की लेखापरीक्षा और जांच के लिए पहल प्रारंभ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

***

(क) से (ग) : भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। यह मंत्रालय देश के पात्र शहरी लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों (नगर पालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों, आदि) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान और

परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इसलिए, मंत्रालय में लाभार्थियों के चयन या योजना के तहत अनियमितताओं के बारे में प्राप्त की गई कोई भी सार्वजनिक शिकायत/प्रतिवेदन/शिकायत को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवश्यक जांच/कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू करते हुए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) और जीटीए क्षेत्रों से बाहर के अपात्र लाभार्थियों को घरों के आवंटन के संबंध में एक वीआईपी पत्र प्राप्त हुआ था और उसकी राष्ट्रीय स्तर की मॉनिटर (एनएलएम) संस्था के माध्यम से जांच की गई थी। एनएलएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

******